217

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2024-दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.08.2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना (म0प्र0) प्रकरण क्रमांक 249/05-06/अपील

.....

राघेश्याम दूबोलिया, मैनेजर,
अहिल्याबाई होल्कर खासगी ट्रस्ट,
आलमपुर, तहसील लहार,
जिला भिण्ड (म0प्र0) --- आवेदक

विरूद्ध

1- रघुराज सिंह कोरव पुत्र श्री रामगोपाल कौरव,
निवासी ग्राम आलमपुर, तहसील लहार,
जिला भिण्ड (म0प्र0)

2- तुलसीराम (मृतक) द्वारा वारिस शशीभूषण दुबे,
पुत्र स्व0 श्री तुलसीराम
निवासी ग्राम आलमपुर, तहसील लहार,
जिला भिण्ड (म0प्र0)

3- नारायणदास (मृतक) द्वारा वारिस -
1- मुन्नालाल
2- उमेश
3- सन्तोष
4- पदम कुमार पुत्रगण स्व0 श्री नारायणदास
निवासी ग्राम आलमपुर, तहसील लहार,
जिला भिण्ड (म0प्र0)

4- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,
भिण्ड, जिला भिण्ड (म0प्र0) -- अनावेदकगण

श्री एस0एल0 धाकड़, अधिवक्ता - आवेदक,
श्री भारतसिंह कौरव, अधिवक्ता - अनावेदक क्र.1
श्री बी0एन0 त्यागी, शासकीय अधिवक्ता - अना.क्र.4
अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 3 - एकपक्षीय

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12../.12./.2016..को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 249/2005-06/अपील में पारित आदेश दिनांक 24-08-2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्र01 लगायत 3 के द्वारा इस शिकायत कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गयी कि ग्राम आलमपुर में स्थिति भूमि सर्वे क्रमांक 862 रकवा 0.809 हैक्टेयर, 986 रकवा 3.683 हैक्टेयर, 1002 रकवा 1.499 हक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकवा 5.991 हैक्टेयर भूमि पर श्री सूबेदार मल्हारराव होल्कर छत्री ट्रस्ट, आलमपुर के स्वामित्व की पटवारी अभिलेख दर्ज है। आवेदक राधेश्याम दूबोलिया आलमपुर ट्रस्ट मैनेजर द्वारा लीज या विक्रय कर दी गयी है। कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2001-02/बी-121 पर दर्ज किया जाकर शिकायत के संबंध में जाँच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, लहार से मंगाया गया। जाँच एवं साक्ष्य उपरान्त कलेक्टर, भिण्ड द्वारा आदेश दिनांक 30.01.2003 पारित किया गया।

आवेदक आलमपुर ट्रस्ट की ओर से कलेक्टर के आदेश दिनांक 30.01.2003 के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 249/2005-06 प्रस्तुत की। साथ ही अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 रघुराज सिंह आदि द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 30.01.2003 के विरूद्ध अपील प्रकरण क्रमांक 250/05-06 प्रस्तुत की गयी। दोनों अपीली प्रकरण की विषयवस्तु एवं पक्षकार एक समान होने पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा दोनों अपीलों का सयुक्त आदेश दिनांक 24.08.2006 को पारित किया गया, जिसमें आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरण क्रमांक 249/05-06 को निरस्त कर दिया गया। आवेदक ट्रस्ट, आलमपुर द्वारा वरिष्ठ न्यायालय से रिब्यू की अनुमति ली। आदेश दिनांक 24.08.2006 के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष रिब्यू प्रकरण क्रमांक 2/06-07 दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 21.02.2007 द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में पुनरीक्षण किया गया।

3- प्रकरण में आवेदक की ओर से श्री एस0एल0 धाकड़ अधिवक्ता उपस्थित तथा म0प्र0 शासन की ओर से श्री बी0एन0 त्यागी, अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 को विधिवत सूचना उपरान्त अनुपस्थित होने से एकपक्षीय किया गया है।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित तर्क में बताया गया है कि म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 के तहत खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चेरिटीज) ट्रस्ट, इन्दौर को नाम से संचालित है। जिसमें दो सदस्य राज्य शासन के तथा एक सदस्य केन्द्र शासन का होता है। उक्त ट्रस्ट पर शासन का नियंत्रण रहता है। आवेदक आलमपुर ट्रस्ट की व्यवस्था के लिए नियुक्त मैनेजर है।

आवेदक अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी बताया गया है कि ग्राम आलमपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 862 रकवा 0.809 हैक्टेयर गढी आवादी के रूप में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है एवं सर्वे क्रमांक 986 रकवा 3.683 हैक्टेयर तथा सर्वे क्रमांक 1003 रकवा 1.499 हैक्टयर जो मल्हारराव होल्कर छत्री ट्रस्ट आलमपुर के नाम से भूमिस्वामी अभिलेख दर्ज है। चकबन्दी वर्ष 1970-71 में सर्वे क्रमांक 861, 862, 863, 743 एवं 751/1 का एक ही नवीन नम्बर 759 रकवा 25,216 हैक्टेयर कायम किया गया, जबकि उक्त नवीन नम्बर में ट्रस्ट की भूमि है। क्योंकि राज्य संविलियन के समय अनुबंध के मुताबिक उक्त विवादित भूमि अहिल्याबाई होल्कर छत्री ट्रस्ट के नाम भूमिस्वामी अभिलेख दर्ज है। आवेदक अभिषक ने अपनी बहस में यह भी बताया गया कि ट्रस्ट की भूमि को ट्रस्ट सचिव (शासन) को ट्रस्ट की भूमि के सम्बन्ध में कलेक्टर से अनुमति लिया जाना आवश्क नहीं है। सचिव, द्वारा ट्रस्ट कमेटी से अनुमति एवं ठहराव व प्रस्ताव लिया गया है। सचिव ही लीज डीड आदि करते है। मैनेजर को कोई अधिकार नहीं है और मैनेजर द्वारा कोई लीज डीड या विक्रय नहीं किया गया है।

आवेदक ने अपनी बहस में यह भी लेख किया गया है कि पुनराविलोकन आवेदन को अवधि वाह्य के सम्बन्ध में अवधि के बिन्दु पर जोर न दिया जाकर सारवान न्याय एवं न्याय विफलता पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायदृष्टांत ए.आई.आर.1987 नोट 1553 से समर्थित किया गया। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2007 एवं 24.08.2006 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया, साथ ही कलेक्टर, भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.03 में पारित आदेश में यह आंशिक संशोधन किया गया है कि कलेक्टर से ट्रस्ट को भूमि के सम्बन्ध में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। संशोधित कर, कलेक्टर, भिण्ड के आदेश दिनांक 30.01.2003 को स्थिर रखा जावे।

4- अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपने तर्क बताया कि सर्वे क्रमांक 862 रकवा 0.809 हैक्टेयर गढी आबादी के रूप में खसरा में दर्ज है। किन्तु चकबन्दी के बाद मल्हारराव होल्कर छत्री के नाम अन्य सर्वे क्रमांकों के

साथ कर दिये जाने से आवेदक द्वारा उसको विक्रय तथा लीज पर दे दिये गये है, जबकि लीज पर दिये जाने का अधिकार नहीं है। साथ यह भी बताया कि सर्वे क्रमांक 986 एवं 1003 यह भूमि ट्रस्ट की अवश्य है, किन्तु इसे बिना जिला पंजीयक की अनुमति लिये विक्रय या लीज पर नहीं दी जा सकती। कलेक्टर द्वारा जाँच प्रतिवेदन को नजरअंदाज कर आदेश पारित किया है, जिसे स्थिर रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश को स्थिर रखते का निवेदन किया गया।

5- अनावेदक क्रमांक 4 शासकीय अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि राज्य विलयन के समय ट्रस्ट की भूमि होना अभिलेख दर्ज होना तो सही है। परन्तु चकबन्दी के समय नया नम्बर निर्मित करते समय सभी नम्बरों का मिलाकर नया नम्बर बना दिया गया है। यह स्पष्ट नहीं है। यह तर्क दिया गया कि यदि शासकीय भूमि में है तो अनुमति लिया जाना चाहिए और ट्रस्ट की भूमि की अनुमति लिया जाना ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

6- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि ग्राम आलमपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 862, 986 तथा 1003 में जो मल्हारराव होल्कर छत्री ट्रस्ट आलमपुर के नाम सरकारी अभिलेख भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। चकबन्दी के दौरान वर्ष 1970-71 में सर्वे क्रमांक 861, 862, 863, 743 एवं 751/1 का एक नम्बर 759 रकवा 25.216 हैक्टेयर निर्मित कर दिया गया, जिसमें आलमपुर ट्रस्ट की भूमियों को सम्मलित किया गया है। ट्रस्ट की भूमियों को शासकीय नजूल न होना अभिलेख से स्पष्ट होता है। राज्य विलियन अनुबंध से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि अहिल्याबाई होल्कर छत्री ट्रस्ट के नाम भूमिस्वामी स्वत्व की होने से, सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 2351/2003 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2005 के द्वारा ट्रस्ट को सम्पत्ति मान्य की गयी है। अधीनस्थ अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना एवं कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में कलेक्टर से अनुमति न लिये जाने से ट्रस्ट को लीज डीड या विक्रय न करने का अधिकार म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 36(1)(ए) एवं धारा 14 के विपरीत निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की गयी है, साथ ही अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा रिब्यू को सारवान न्यायालय एवं न्याय के विफलता के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रस्तुत न्यायदृष्टांत, ए.आई.आर. 1987 नोट 1553 के पालन में अवधि अन्तर्गत मान्य किया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दस्तावेजों एवं साक्ष्यों

के विपरीत निष्कर्ष निकालने में अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.07 और 24.08.06 स्थिर नहीं रखे जा सकते। कलेक्टर, भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.03 में यह आंशिक संशोधित करते हुए कि ट्रस्ट की सम्पत्ति में ट्रस्ट डीड एवं ट्रस्ट अधिनियमों के अनुसार लीज डीड एवं विक्रय करने की अनुमति कलेक्टर से लिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, कलेक्टर के आदेश दिनांक 30.01.2003 को स्थिर रखे जाने योग्य पाता हूँ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2006 निरस्त किया जाता हैं तथा न्यायालय कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2003 में यह आंशिक संशोधित करते हुए कि ट्रस्ट को अपनी सम्पत्ति में कलेक्टर से अनुमति लिये जाने की आवश्यकता नहीं होने से कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाता है। यह निगरानी स्वीकार की जाती है।

एस.के. सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर